UPFR040171692026

Bail Application/2623/2026

State Government Vs. Naresh kumar and others

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, **जनपद** फर्रुखाबाद

राज्य बनाम नरेश कुमार आदि।

मुकदमा अपराध संख्या– 107 सन 2016

धारा– 323, 504, 325 भा०द०सं०

थाना– को० फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।

दिनांक 11–08–2026

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण नरेश कुमार, जानी व शिवम कुमार की ओर से आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र एवं प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था *सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई०(2022) 10SC51* में पारित सिद्धांत के आलोक में अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में नहीं लिया गया।
3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को जमानत के बिन्दुओ पर विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 504, 325 भा०द०सं०, के तहत आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है। अतएव अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत हेतु पर्याप्त है।

आदेश

5. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण नरेश कुमार, जानी व शिवम कुमार के द्वारा मुबलिग 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(युगल शम्भू)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्रुखाबाद। (UP2615)

Digitally signed by Yugmul Shambhu
Date: 2026.08.11 16:56:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court